भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2796

मंगलवार, 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कारोबार करने में सुगमता का अध्ययन

2796. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश में कारोबार करने में सुगमता रैंकिंग का अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों की सापेक्ष रैंकिंग करने के लिए कोई नई पद्धति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीआरएपी 2024 में अत्याधुनिक सुधार किए गए हैं, जो व्यवसायों और नागरिकों दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत सरकार विगत कुछ वर्षों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के परिवेश को बेहतर बनाने में सक्रिय रूप से शामिल है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने इन पहलों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया है। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और वर्ष 2014 के 142वें स्थान से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2019 में, जब इस रिपोर्ट को बंद किया गया, 63वें स्थान पर पहुंच गया।

केंद्र सरकार ने भारत में व्यवसायिक परिवेश को बेहतर बनाने, निवेश आकर्षित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और व्यवसाय के लिए अधिक अनुकूल विनियामक फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) के द्वारा निरंतर कार्य किया है। इस पहल के भाग के रूप में, देश के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) का मूल्यांकन, निम्नलिखित चार प्रतिशत-आधारित श्रेणियों में उनके द्वारा निर्दिष्ट सुधार मापदंडों के कार्यान्वयन के आधार पर किया जाता है:

i. टॉप अचीवर्स: जो 90% से अधिक स्कोर करते हैं
ii. अचीवर्स: जो 80% से 90% के बीच स्कोर करते हैं
iii. फास्ट मूवर्स: जो 70% से 80% के बीच स्कोर करते हैं
iv. एस्पायरर्स: जो 70% से कम स्कोर करते हैं

(ग) और (घ): बीआरएपी 2024 संस्करण, बीआरएपी प्लस और आरसीबी प्लस के साथ मिलकर प्रमुख सरकारी पहलों के अनुरूप सुधारों का एक नया दौर लेकर आया है। इसमें कुल 434 सुधार शामिल हैं।

बीआरएपी 2024 के भाग के रूप में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने इन प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 35 सेवाओं के लिए प्रत्येक चरण पर लगने वाले समय (टीडीएस) की आवश्यकता का व्यापक तुलनात्मक विश्लेषण किया है। अध्ययन से पता चला है कि विभिन्न राज्यों में टीडीएस आवश्यकता में भिन्नता है, जो विभिन्न तरीकों से व्यवसायों को प्रभावित कर सकती है। विभिन्न सेवाओं के लिए टीडीएस की प्रभावशीलता का लगातार आकलन करना महत्वपूर्ण है।

बीआरएपी में एकीकृत शिक्षण और फीडबैक तंत्र, सरलीकृत पर्यावरण मंजूरी (पेड़ों की कटाई के लिए एनओसी और ट्रांजिट परमिट, पर्यावरण पंजीकरण के लिए डैशबोर्ड), अपशिष्ट प्रबंधन (ई-वेस्ट, प्लास्टिक, बैटरी) के लिए डिजिटलीकृत पंजीकरण और नवीनीकरण, यूटिलिटी कनेक्शन (अस्थायी बिजली, बढ़े हुए लोड के लिए एनओसी, सीवरेज) के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया और निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों के विकास के साथ ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम पर केंद्रित सुधार शुरू किए गए हैं। ये सुधार कुशल और पारदर्शी सेवा वितरण के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाते हैं, जो विश्व स्तरीय व्यवसायिक परिवेश के लिए भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं।

*****